राजस्थान सरकार बनाम मनीराम आदि

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 एलआरए व नियम 58,59,60,66,86 आरएलआर नं0 117

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.11.2025	तहसीलदार, चूरू के पत्रांक राजस्व / 2025 / 2065 दिनांक 12.11.2025 के द्वारा रास्ता का प्रस्ताव मय मय दस्तावेजात्, नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का झारिया, प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 का बनने से क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार, चूरू से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार रोही ग्राम झारिया खसरा नम्बर 1517 / 1087 / 187 से शुरू होकर ख0न0 901 / 192 तक जाने वाला रास्ता सदामती रास्ता है प्रस्ताव मौके पर तैयार किया गया है जिसमें कुछ खातेदार ने हस्ताक्षर करने से मना किया है एल.आर. एक्ट की धारा 131 और 132 व नियम 58, 59, 60 जमीन के मौके अनुसार रिकॉर्ड को नियमित और अपडेटेड रखने का कानूनी आधार देती हैं। हालांकि कुछ पखकारान ने हस्ताक्षर करने से मना किया है परन्तु रास्ता काफी वर्षों से चालु अवस्था में तथा प्रचलित सदामती रास्ता होने से नक्शे में अपडेट किया जाना आवश्यक है रास्ता कुछ स्थानों पर बंद पाया गया है परन्तु कानुन के अनुसार एक –दो व्यक्तियों की सहमति नहीं होने से आमजन के आवगमन के वैधानिक अधिकार को बाधित नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार चूरू की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम1957तहसीलदार चूरू के पत्रांक राजस्व / 2025 / 2065 दिनांक 12.11.2025 के संलग्न रिपोर्ट पटवारी, संलग्न नक्शा के अनुसार स्वीकार किया जाता है । रिपोर्ट पटवारी व संलग्न नक्शा को भविष्य में आदेश का भाग माना जावेगा। तहसीलदार, चूरू उक्त प्रकरण में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sunil Kumar Date: 2026.05.14 13:17:17 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी चूरू	